

तारीख हुक्म

23/3/26

पत्रावली पेश हुई। वक्कुलाय उपस्थित।  
वकील प्रार्थीगण को नोटिस पेश करने  
हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के  
बावजूद आज दिनांक पेशी तक न्यायालय  
के आदेश की पालना नहीं की गई है।  
अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त कृत्य  
न्यायालय के आदेशों की अवहेलना  
परिलक्षित होता है। लिहाजा उक्त पत्रावली  
सदम तकमील में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नंबर से  
कम ले।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली